

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या-22012/13/2021-अ.भा.से.-1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 7 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 2021 की ओ.ए.सं. 885 में माननीय कैट की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के दिनांक 22.07.2021 के आदेश, जिसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.08.2021 के आदेश के माध्यम से 2021 की डब्ल्यूपी(सी) सं. 9190 में सही ठहराया था, के आलोक में केन्द्र सरकार सुश्री रीना जोशी, आईएएस (पश्चिम बंगाल : 2013) को श्री चन्द्र शेखर जोशी, आईएफएस (उत्तराखंड : 2012) से विवाह करने के आधार पर पश्चिम बंगाल संवर्ग से उत्तराखंड संवर्ग में एतद्वारा स्थानांतरित करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23094142

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली